...य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

किरोडी बनाम भंवरलाल

मु. सं. 77/2019

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 18.8.23

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। [illegible]

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21.8.23 को पेश हो।

रीडर

21.8.23

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 25.8.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

दिनांक: 25.08.2023

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण किरोडी वगै. की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी इस आशय का पेश किया कि दावा के प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की प्रोपर रूप से तामिल नहीं होने के कारण न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। उक्त उनवानी दावा अचल सम्पत्ति खातेदारी की कृषि भूमि से संबंधित है जो संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है। उक्त दावा अभी दिनांक 03.08.22 को प्राथमिक डिक्री हुआ है,अंतिम डिक्री नहीं हुआ है। प्राथमिक डिक्री प्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय होने के फलस्वरूप हुई है जिसे निरस्त फरमाकर पुनः दोनो पक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार कानूनी प्रोसीडिंग अपनाई जाकर प्रार्थीगण को समुचित अवसर दिया जावे ताकि प्रार्थी अपना पक्ष रख सकें एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट कब्जा व हिस्सानुसार मंगवाई जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि सभी सहखातेदार बाहमी बंटवारा से हिस्से मुताबिक काबिज काश्त हैं। वादीगण द्वारा तकास्मा का दावा विधिवत रूप

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम...............
	से दिनांक 05.07.2019 को पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण की विधिवत तामिल मानकर दिनांक 17.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उसके पश्चात् वादी पक्ष की साक्ष्य करवाई गई। दावा दिनांक 03.08.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया जिसकी कुर्रे रिपोर्ट तैयार हुई जिसकी सभी प्रतिवादीगण को जानकारी रही है। प्रार्थना पत्र बिना आधार के दावा गत चार वर्ष की कार्यवाही होने के बाद पेश किया गया है जो हर्जा खर्चा के साथ खारिज फरमाया जावे। हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। दावा में प्रतिवादीगण की तामिल विधिक प्रावधानवों के अनुरूप हुई है जिनकी नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र चार वर्ष से जैरकार है, प्रतिवादीगण अपने दावे के प्रति गंभीर नहीं है अन्यथा उक्त अवधि में उपस्थित होकर समुचित अवसर प्राप्त कर सकते थे जो नहीं किया गया। जहॉ तक एकपक्षीय कार्यवाही का प्रश्न है तामिल कुनिंदा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 द्वारा सम्मन लेने से इन्कार किया तथा खुले मकान पर भी चस्पा नहीं करने दिया। अन्य की विधिक तामिल हुई लेकिन बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दावा में वादीगण की ओर से साक्ष्य पेश की गई। सभी सहखातेदार बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है उसी अनुसार तहसीलदार महवा द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का हित निहित है, यदि बंटवारा स्कीम के अनुसार वादपत्र को अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

दिनांक 14.11.2022 के मुताबिक वादीगण का दावा निम्नानुसार अंतिम रुप से डिक्री किया जाता है:-

क्र. सं	काश्तकार का नाम मय विवरण	खाता सं.	ख.नं.	रकबा
1.	1.अंगूरी पुत्री मवासी हि0 1/6 2.अनुप पुत्र मुन्शी हि0 1/18 3.गोविन्द पुत्र जगन हि0 1/30 4.जगदीश पुत्र जगन हि0 1/30 5.ज्ञानकौर पुत्री मवासी हि0 1/6 6.जतन पुत्र मुशी हि0हि0 1/6 7.पप्पू पुत्र जगन हि0 1/30 8.फेशनकुमार पुत्र गुमान हि0 1/150 9.भगवानदेई पुत्री मुन्शी हि0 1/18 10.माया पत्नि जगन हि0 1/30 11.वेदवती पुत्री गुमान हि0 1/150 12.शारदा बाई पुत्री गुमान हि0 1/150 13.शिवसिंह पुत्र मवासी हि0 1/6 14.शोनू कुमार पुत्र गुमान हि0 1/150 15.सुनीता पत्नि स्व.गुमान हि0 1/150 16.सूरजमल पुत्र मवासी हि0 1/6 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा	174	689	0.46

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

	पावटा समस्त जाति जाटव सा.देह			
	कुल योग--		1	0.46

2.	1.किरोडी पुत्र मंगल हि0 52/162 जाति जाटव खातेदार राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा महवा। 2.जयबाई पत्नि रमले हि0 22/162 जाति जाटव सा.देह खातेदार 3.बोदीचन्द्र पुत्र रमले हि0 22/162 जाति जाटव सा. देह खातेदार 4.रूकमणी देवी पत्नि धर्मसिंह हि0 22/162 जाति कोली सा.टुडावली खातेदार 5.लीलाराम पुत्र रमले हि0 22/162 जाति जाटव राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पावटा 6.समयसिंह पुत्र रमले हि0 22/162 सा.देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पावटा	174	540 684 686 687 688	0.07 0.56 0.57 0.22 0.20
	योग–		5	1.62

1 .	1.अंगूरी पुत्री मवासी हि0 1/6 2.अनुप पुत्र मुन्शी हि0 1/18	177	400 542 541/1	0.12 0.15 0.04

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

	3.गोविन्द पुत्र जगन हि0 1/30 4.जगदीश पुत्र जगन हि0 1/30 5.ज्ञानकौर पुत्री मवासी हि0 1/6 6.जतन पुत्र मुशी हि0हि0 1/18 7.पप्पू पुत्र जगन हि0 1/30 8.फेशनकुमार पुत्र गुमान हि0 1/150 9.भगवानदेई पुत्री मुन्शी हि0 1/18 10.माया पत्नि जगन हि0 1/30 11.वेदवती पुत्री गुमान हि0 1/150 12.शारदा बाई पुत्री गुमान हि0 1/150 13.शिवसिंह पुत्र मवासी हि0 1/6 14.शोनू कुमार पुत्र गुमान हि0 1/150 15.सुनीता पत्नि स्व. गुमान हि0 1/150 16.सूरजमल पुत्र मवासी हि0 1/6 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पावटा समस्त जाति जाटव सा.देह कुल योग–		3	0.31

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

2.	1.जयबाई पत्नि रमले हि0 1/5 जाति जाटव सा.देह खातेदार 2.बोदीचन्द्र पुत्र रमले हि0 1/5 जाति जाटव सा. देह खातेदार 3.रूकमणी देवी पत्नि धर्मसिंह हि0 1/5 जाति कोली सा.टुडावली खातेदार 4.लीलाराम पुत्र रमले हि0 1/5 जाति जाटव सा.देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पावटा 5.समयसिंह पुत्र रमले हि0 1/5 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पावटा	177	541/2	0.20
	योग–		1	0.20

इसी अनुसार उभय पक्ष को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा, जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा